बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक .... / पटना, दिनांक– ....
06 / पणन(स0)–112 / 2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन / संघ अंतर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों **(PVCS)** के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण **(Selection of Project Management Consultant for Strengthening and Capacity Building of Primary Vegetable Cooperative Societies in Bihar)** हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार **(Project Management Consultant)** के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु रू0 6,81,23,760 / – (छः करोड़ इक्यासी लाख तेईस हजार सात सौ साठ रुपये) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन / संघ अंतर्गत प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण (Selection of Project Management Consultant for Strengthening and Capacity Building of Primary Vegetable Cooperative Societies in Bihar) हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार (Project Management Consultant) के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु रू0 6,81,23,760 / – (छः करोड़ इक्यासी लाख तेईस हजार सात सौ साठ रुपये) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष–मांग संख्या–09 अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 उप मुख्य शीर्ष–00 लघु शीर्ष–108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता उप शीर्ष–0116–सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन विस्तृत शीर्ष–28 –व्यावसायिक सेवायें विषय शीर्ष–04 व्यावसायिक / कला / तकनीकी सेवायें विपत्र कोड–09–2425001080116 से विकलनीय होगा। वर्तमान में बजट उपबंध शून्य होने के कारण उक्त राशि का आवंटन पुनर्विनियोग / द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि उपलब्ध होने के पश्चात किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा आहरित राशि वेजफेड, पटना के खाते में हस्तांतरित की जायेगी। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. परियोजना के लिए भुगतान की शर्तें RFP में वर्णित प्रमुख key milestones के पूरा होने पर आधारित होंगी। Scope of Work के अंतर्गत उल्लिखित गतिविधियों के लिए त्रैमासिक भुगतान हेतु परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) द्वारा चालू त्रैमास के अंतिम दिवस से 20 दिनों के भीतर, वेजफेड को विपत्र (invoice) प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (QPR) भी संलग्न करनी होगी।

5. योजना अंतर्गत चयनित Project Management Consultant (PMC) के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों के समीक्षा/मूल्यांकन के पश्चात निर्धारित दर से त्रैमासिक भुगतान वेजफेड पटना द्वारा किया जायेगा।

6. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (PMC) का अनुबंध प्रारंभ में 24 माह (दो वर्ष) की अवधि के लिए होगा। दो वर्षो की सेवा पूरी कर लेने के बाद कार्य मूल्यांकन के आधार पर PMC के संतोषजनक प्रदर्शन पर प्रबंध निदेशक, वेजफेड द्वारा सहमति दिये जाने की स्थिति में RFP की शर्तों के अधीन अवधि विस्तार किया जा सकेगा। यदि निर्धारित दो वर्ष की अवधि में भी कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो Project Management Consultant (PMC) की सेवा समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

7. रणनीतिक, परिचालन और तकनीकी गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु मुख्यालय स्तर (वेजफेड स्तर) पर 6 प्रमुख विशेषज्ञों तथा संघ स्तर पर 6 विशेषज्ञों (हरित संघ, तिरहुत संघ और मिथिला संघ, तीनों संघों में 2–2 विशेषज्ञों की तैनाती), इस प्रकार कुल 12 विशेषज्ञों की तैनाती (Deployment) प्रबंध निदेशक, वेजफेड की सहमति से चयनित PMC द्वारा की जायेगी। साथ ही PMC द्वारा किये जा रहे कार्यों की मासिक समीक्षा प्रबंध निदेशक, वेजफेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

9. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

11. योजना प्रस्ताव एवं संलेख पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 23.09.2025 की बैठक में प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–112/2025 के पृष्ठ संख्या 10/टि0 पर दिनांक– 24.09.2025 को प्राप्त है।

13. इस राशि की स्वीकृति हेतु सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–06/पणन(स0)–112/2025 के पृष्ठ संख्या 11/टि0 पर दिनांक– 24.09.2025 को प्राप्त है।

14. योजना प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या 06/पणन(स0)–112/2025 के पृष्ठ संख्या 11/टि0 पर दिनांक– 25.09.2025 को प्राप्त है।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 370 / पटना, दिनांक 27.09.2025

06 / पणन(स0)–110 / 2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना) / सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव / निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि॰, पटना / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

27.09.25

सरकार के अपर सचिव।